द्वितीय पक्ष की राय (एसपीओ)

**ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क**

**भारतीय स्टेट बैंक**

जनवरी 2024

**परामर्श**

**द्वितीय पक्ष की राय**

**ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क**

**जारीकर्ता का नाम:** भारतीय स्टेट बैंक

**जारीकर्ता का स्थान:** मुंबई, **भारत मूल्यांकन दिनांक:** 8 जनवरी, 2024

मूल्यांकन का सारांश

यह दस्तावेज़ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क (6 दिसंबर 2023, संस्करण 1.0) पर क्रिसिल लिमिटेड ("क्रिसिल") की सीमित राय को रेखांकित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2023 में उल्लिखित ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए रूपरेखा और क्रिसिल के साथ साझा की गई अन्य गैर-सार्वजनिक जानकारी के अनुरूप क्रिसिल द्वारा मूल्यांकन सख्ती से एक बाहरी समीक्षक की क्षमता में किया जाता है और इसे संदर्भित ढांचे के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त जानकारी और आरबीआई परिपत्र के तहत निर्धारित दृष्टिकोण के आधार पर, बाहरी समीक्षक की अपनी सीमित क्षमता में क्रिसिल का मानना ​​है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क काफी हद तक उपरोक्त परिपत्र के अनुरूप है। उपरोक्त अस्वीकरणों के अधीन होंगे और यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मूल्यांकन की सामग्री के उपयोग या निर्भरता के संबंध में क्रिसिल का कोई भी दायित्व नहीं होगा।

यह एसपीओ एक अपरिवर्तित ढांचे की शर्त के तहत प्रभावी रहेगा। ढांचे और संबंधित प्रक्रियाओं और दस्तावेजों में कोई भी संशोधन इस एसपीओ को अनुपयुक्त बना देगा।

विषयवस्‍तु

[क्रिसिल लिमिटेड के एसपीओ के कार्य क्षेत्र और सीमाएं 2](#_Toc16564)

[एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का अवलोकन 43](#_Toc16565)

मूल्‍यांकन सारांश  [4](#_Toc16566)

[एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क पर क्रिसिल लिमिटेड की राय 6](#_Toc16567)

[अस्वीकरण 12](#_Toc16568)

# क्रिसिल लिमिटेड के एसपीओ के कार्य क्षेत्र और सीमाएं

भारतीय स्टेट बैंक (इसके बाद एसबीआई या बैंक के रूप में संदर्भित) ने क्रिसिल लिमिटेड को अपने ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क और दिनांक 11 अप्रैल 2023 के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना के बीच 11 अप्रैल 2023 को ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के लिए तय ढांचे से संबंधित अधिसूचना के बीच अनुरूपता का मूल्यांकन करने के लिए शामिल किया (इसके बाद ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के रूप में संदर्भित)।

द्वितीय पक्ष राय (एसपीओ) दस्‍तावेज केवल ग्रीन डिपॉजिट की स्‍वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के साथ एसबीआई ग्रीन फाइनेसिंग फ्रेमवर्क (6 दिसंबर 2023 का वर्जन 1.0) की सुसंगतता पर क्रिसिल लिमिटेड की स्‍वतंत्र राय प्रस्‍तुत करता है और कोई अन्‍य दिशानिर्देश, सिद्धांत, रूपरेखा अथवा मानक स्‍थापित नहीं करता है।

इस मूल्यांकन के एक पहलू के रूप में, क्रिसिल लिमिटेड भारतीय स्‍टेट बैंक (एसबीआई) के साथ ग्रीन डिपॉजिट के संबंध में लागू किए जाने वाले दृष्टिकोण और प्रथाओं, ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से उठाए गए फंड को आवंटित करने की प्रक्रियाओं और इस ढांचे के शासन और रिपोर्टिंग पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए चर्चा में लगा हुआ है.

क्रिसिल लिमिटेड ने आय के उपयोग, परियोजना मूल्यांकन और चयन के लिए प्रक्रिया, आय के प्रबंधन और इस ढांचे से जुड़े रिपोर्टिंग तंत्र से संबंधित एसबीआई द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक दस्तावेजों की समीक्षा की।

एसबीआई के प्रतिनिधियों द्वारा यह पुष्टि की गई है कि क्रिसिल लिमिटेड को प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेज वर्तमान, प्रासंगिक, सटीक और व्यापक हैं। क्रिसिल लिमिटेड ने एसबीआई द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और सूचनाओं का कोई स्वतंत्र सत्यापन या ऑडिट नहीं किया है।

यह एसपीओ पात्र गतिविधियों के लिए आय के वास्‍तविक आवंटन का आश्वासन प्रदान नहीं करता है और आय के उपयोग के कारण वास्तविक प्रभाव को नहीं मापता है। एसबीआई पात्र गतिविधियों के परिणामस्वरूप आय और प्रभाव के उपयोग पर रिपोर्टिंग के लिए जवाबदेह है।

इस द्वितीय-पक्ष राय के अंतर्गत क्रिसिल लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किसी भी जानकारी को किसी तथ्य या कथन की सत्यता, विश्वसनीयता या संपूर्णता और उनके प्रासंगिक प्रासंगिकता के संबंध में, चाहे अनुकूल या प्रतिकूल, घोषणा, चित्रण, वारंटी या दावे के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। परिस्थितियाँ, जो एसबीआई ने विशेष रूप से इस द्वितीय-पक्ष राय के इरादे से क्रिसिल लिमिटेड को प्रदान की हैं।

# एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क का अवलोकन

एसबीआई ने अपनी 'ग्रीन डिपॉजिट जारी करने और आवंटन की नीति' के तहत एक ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क स्थापित किया है, जो ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

एसबीआई का ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क एसबीआई को हरित जमा के प्रभावी आवंटन में सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

**मूल्यांकन सारांश**

क्रिसिल लिमिटेड ने ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के साथ एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के संरेखण का आकलन किया है। हमारी राय में, एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क (संस्करण 1.0, दिनांक 6 दिसंबर 2023) 11 अप्रैल 2023 को ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के साथ संरेखित है।

|  |  |
| --- | --- |
| **पक्ष**  | **टिप्पणियां**  |
| **मूल्यवर्ग, ब्याज दरें और जमा की अवधि**  | एसबीआई की 'ग्रीन डिपॉजिट जारी करने और स्वीकार करने की नीति' में उल्लेख किया गया है कि जमा केवल भारतीय रुपये में अंकित हैं। परिपक्वता पर इन जमाओं को जमाधारक के विवेक पर नवीनीकृत अथवा इनका आहरण किया जाएगा। यह ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना का पालन करता है.  |
| **ग्रीन डिपाजिट पर नीति**  | एसबीआई ने ग्रीन फाइनेंसिंग डिपाजिट जारी करने और आवंटन के लिए सभी पहलुओं को विस्तार से बताने के लिए एक व्यापक बोर्ड-अनुमोदित नीति बनाई है। यह ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई की अधिसूचना के अनुरूप है। |
| **आय का उपयोग**  | आय के उपयोग के लिए पात्र श्रेणियां ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए तय फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना में अनुशंसित श्रेणियों के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, एसबीआई ने आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप अपनी बहिष्करण सूची को संरेखित किया है।  |
| **परियोजना के मूल्यांकन और चयन के लिए प्रक्रिया**  | बैंक की संव‍हनियता समिति (एससी) (इसके ईएसजी फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत स्थापित) ग्रीन एसेट पूल के हिस्से के रूप में विचार की जाने वाली परियोजना की पात्रता निर्धारित करने और इस पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। संबंधित विभाग/परिचालन इकाइयां परियोजना स्तर के मूल्यांकन और ईएसजी जोखिम मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी।इसके अलावा, फ्रेमवर्क बैंक के 'ईएसजी जोखिम रेटिंग मॉडल' को संदर्भित करती है जिसका उपयोग 100 करोड़ रुपये (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और 500 करोड़ रुपये (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) से ऊपर प्रस्तावित ऋण वाले उधारकर्ताओं (प्रासंगिक परियोजनाओं) के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। यह मॉडल उधारकर्ताओं (प्रासंगिक परियोजनाओं) से जुड़े पर्यावरण, सामाजिक और शासन जोखिमों की पहचान करने के लिए ईएसजी मानदंड प्रदान करता है। हालाँकि, 100 करोड़ रुपये (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और 500 करोड़ रुपये (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) से कम के ऋण (इस ढांचे में परिभाषित पात्र गतिविधियों की सूची को पूरा करते हुए) के लिए, बैंक एक अलग ई एंड एस जोखिम मूल्यांकन पद्धति विकसित करेगा। बैंक के हितधारकों के साथ चर्चा के आधार पर, यह समझा जाता है कि एसबीआई ग्रीन डिपॉजिट जारी करने के छह महीने के भीतर इस तंत्र को विकसित करेगा। ऐसी प्रक्रिया लागू करना बाज़ार की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। |
| **आय का आवंटन और निगरानी**  | बैंक के हितधारकों के साथ चर्चा के आधार पर, यह समझा जाता है कि आय के प्रबंधन के लिए एक अलग लेबलिंग और टैगिंग तंत्र विकसित किया जा रहा है और ग्रीन डिपॉजिट जारी करने के छह महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। जब तक यह तंत्र स्थापित नहीं हो जाता, तब तक बैंक का ग्लोबल आईटी सेंटर (जीआईटीसी) दैनिक आधार पर एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे निगरानी के लिए ईएसजी और जलवायु वित्त इकाई (ईएसजी और सीएफयू) को प्रसारित किया जाएगा। बैंक का एससी हरित परिसंपत्ति पूल के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली परियोजना(परियोजनाओं) की पात्रता निर्धारित करने और इस पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। फ्रेमवर्क में शामिल होने वाली किसी भी परियोजना को मंजूरी देनी होगी |

|  |  |
| --- | --- |
| **पक्ष**  | **टिप्पणियां**  |
|  | पात्रता मानदंड के अनुसार एससी [[1]](#footnote-1). एससी इस ढांचे के तहत ग्रीन डिपॉजिट के लिए प्रासंगिक रिपोर्टिंग की तैयारी और सत्यापन की देखरेख करेगा। यह आय पात्र परियोजनाओं को ऋण देने के लिए निर्धारित की जाएगी। अनावंटित आय अस्थायी रूप से केवल तरल लिखतों (ट्रेजरी बिल, ट्रिपार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (टीआरईपीएस)/क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस)/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), दिनांकित प्रतिभूतियों और अन्य कूपन वाली गैर-एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) प्रतिभूतियों) में आवंटित की जाएगी, जिनकी अधिकतम मूल अवधि एक वर्ष होगी। क्रिसिल लिमिटेड यह नोट करता है कि यह बाजार की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है.  |
| **तृतीय पक्ष** **सत्यापन/आश्वासन**  | एक वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से संचित धन का आवंटन एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक सत्यापन/आश्वासन के अधीन किया जाएगा। क्रिसिल लिमिटेड का कहना है कि ये उपाय ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुरूप हैं। |
| **प्रभाव का आकलन**  | एसबीआई हरित वित्त गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए निर्देशित धन के लिए वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए बाहरी फर्मों को शामिल करेगा, जिसका समापन एक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में होगा। रिपोर्ट को एसबीआई की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एसबीआई ने ढांचे के भीतर प्रभाव संकेतकों की एक उदाहरणात्मक सूची की रूपरेखा तैयार की है। यह दृष्टिकोण ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप है। |
| **रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण**  | वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एसबीआई द्वारा अपने निदेशक मंडल के समक्ष एक समीक्षा रिपोर्ट रखी जाएगी। रिपोर्ट में हरित जमा के तहत जुटाई गई राशि, उन हरित परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए आय आवंटित की गई है, आवंटित राशि और तीसरे पक्ष के सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति शामिल होगी। एसबीआई अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में उचित खुलासे भी करेगा। क्रिसिल लिमिटेड का कहना है कि ये उपाय ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप हैं। |

 **एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क पर क्रिसिल लिमिटेड की राय**

**मूल्यवर्ग, ब्याज दरें और जमा की अवधि**

'ग्रीन डिपॉजिट जारी करने और स्वीकार करने पर नीति' पुष्टि करती है कि ग्रीन डिपॉजिट केवल भारतीय रुपये में अंकित हैं और इन जमाओं को परिपक्वता पर, जमा धारक के विवेक पर नवीनीकृत अथवा आहरित किया जाएगा। समय-समय पर यथासंशोधित 03 मार्च 2016 के मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 में यथा परिभाषित अवधि, आकार, ब्याज दर और अन्य नियम व शर्तें (यथा लागू हो) ग्रीन डिपॉजिट पर भी लागू होंगी।

#### ‘

#### क्रिसिल लिमिटेड की राय

जमाराशियों के मूल्यवर्ग, ब्याज दरों और अवधि का प्रकटीकरण ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप है।

### ग्रीन डिपॉजिट पर नीति

#### एसबीआई ने 'ग्रीन डिपॉजिट जारी करने और स्वीकार करने पर नीति' तैयार की है, जिसमें ग्रीन डिपॉजिट की परिभाषा और ग्रीन डिपॉजिट कार्यान्वयन तंत्र का विवरण शामिल है, जिसमें आय के उपयोग का अवलोकन, परियोजना मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया, आय का प्रबंधन, तीसरे पक्ष का सत्यापन/आश्वासन शामिल है। प्रभाव मूल्यांकन, रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण, और हरित वित्तपोषण ढांचे की बाहरी समीक्षा। नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

**क्रिसिल लिमिटेड की राय**

### ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, एसबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट पर एक व्यापक बोर्ड-अनुमोदित नीति तैयार की है। यह नीति हरित जमा जारी करने और आवंटन से संबंधित पहलुओं की रूपरेखा तैयार करती है।

### आय का उपयोग

एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क निम्नलिखित ग्रीन श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड का वर्णन करता है:

|  |
| --- |
| **एसबीआई के फ्रेमवर्क से ग्रीन कैटेगरी**  |
| 1. अक्षय ऊर्जा
2. ऊर्जा दक्षता
3. स्वच्छ परिवहन - कम कार्बन गतिशीलता समाधान
4. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
5. सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन
6. प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
7. हरित भवन
8. जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन
9. स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण
 |

यह फ्रेमवर्क ग्रीन फाईनेंस के लिए बहिष्करण सूची भी प्रदान करता है

|  |
| --- |
| एसबीआई के ढांचे से बहिष्करण सूची  |
| 1. सुधार और उन्नयन सहित जीवाश्म ईंधन के नए या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण से जुड़ी परियोजनाएं; या जहां मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म-ईंधन आधारित है
2. परमाणु ऊर्जा उत्पादन
3. प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण
4. शराब, हथियार, तंबाकू, गेमिंग, या ताड़ के तेल उद्योग
5. संरक्षित क्षेत्रों से उत्पन्न फीडस्टॉक का उपयोग करके बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं
6. लैंडफिल परियोजनाएं
7. 25 मेगावाट से बड़े जलविद्युत संयंत्र
 |

 **क्रिसिल लिमिटेड की राय**

### आय के उपयोग के लिए पात्र परियोजना श्रेणियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और विस्तृत किया गया है। इसके अलावा, पात्र परियोजनाएं ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना में उल्लिखित हरित गतिविधियों और परियोजनाओं की सूची के अनुरूप हैं।

### एसबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप एक बहिष्करण सूची भी प्रदान की है। क्रिसिल लिमिटेड पर्यावरण और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को बाहर करने को उद्योग के भीतर अग्रणी प्रथाओं के अनुरूप मानता है।

### परियोजना मूल्यांकन और चयन के लिए प्रक्रिया

बैंक की ईएसजी फाइनेंसिंग के तहत स्थापित संवहनियता समिति (एससी) ग्रीन एसेट पूल के हिस्से के रूप में विचार की जाने वाली परियोजना/परियोजनाओं की पात्रता निर्धारित करने और इस पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी। एससी एक क्रॉस फंक्शनल टीम है और इसकी अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक (क्रेडिट नीति और प्रक्रियाएं) (या वैकल्पिक रूप से मुख्य महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन -1)) करते हैं। इसमें कृषि/एनबीएफसी गठबंधन व्यवसाय इकाई, लघु और मध्यम उद्यम व्यवसाय इकाई, सीएसआर और स्थिरता विभाग और ट्रेजरी प्रबंधन समूह के वरिष्ठ प्रतिनिधि भी शामिल हैं। यह रूपरेखा हरित जमा और हरित ऋण को मंजूरी देने के लिए नामित प्राधिकरण की रूपरेखा तैयार करती है। संबंधित विभाग/परिचालन इकाइयां परियोजना स्तर के मूल्यांकन और ईएसजी जोखिम मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी।

एसबीआई अपने 'ईएसजी जोखिम रेटिंग मॉडल' के तहत निर्धारित एक संरचित प्रक्रिया का पालन करेगा। यह मॉडल 100 करोड़ रुपये (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और 500 करोड़ रुपये (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) से ऊपर के ऋण पर लागू होगा। यह उधारकर्ताओं (प्रासंगिक परियोजनाओं) से जुड़े पर्यावरण, सामाजिक और शासन जोखिमों की पहचान करने के लिए ईएसजी मानदंड प्रदान करता है। ऐसे मामलों में, एसबीआई एक प्रश्नावली के माध्यम से उधारकर्ताओं से डेटा/सूचना (जहां भी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है) प्राप्त करेगा और प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर उधारकर्ताओं को स्कोर देगा। ईएसजी रेटिंग पर पहुंचने के लिए संबंधित विभाग/परिचालन इकाइयां स्वतंत्र रूप से जोखिम मूल्यांकन करेंगी। इसके बाद इस रेटिंग को बैंक की क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) सत्यापन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

एसबीआई 100 करोड़ रुपये (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और 500 करोड़ रुपये (गैर-सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) से कम के ऋण के लिए एक अलग ई एंड एस जोखिम मूल्यांकन पद्धति विकसित करेगा। बैंक के हितधारकों के साथ चर्चा के आधार पर, बैंक ग्रीन डिपाजिट जारी करने के छह महीने के भीतर इस तंत्र को विकसित करेगा।

एससी यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह है कि हरित जमा मार्ग के माध्यम से जुटाई गई पूंजी को पात्र हरित परियोजनाओं के लिए ढांचे और RBI दिशानिर्देशों के अनुसार तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा सामान्य दिशानिर्देश और

बैंक की ऋण नीति और क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के तहत निर्धारित ऋणों के लिए निर्धारित नियंत्रण और संतुलन का पालन किया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षक (जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए)/क्रेडिट ऑडिट) आंतरिक जांच और संतुलन की उपरोक्त निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच करेगा।

एससी इस ढांचे के तहत ग्रीन डिपॉजिट के लिए प्रासंगिक रिपोर्टिंग की तैयारी और सत्यापन की निगरानी करेगा

**क्रिसिल लिमिटेड की राय**

एसबीआई का ढांचा परियोजना मूल्यांकन और चयन के लिए एक प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है जो ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों से मेल खाती है.

इस फे्रमवर्क में स्पष्ट रूप से परिभाषित मॉनीटरिंग उत्तरदायित्वों और अनुमोदन प्राधिकरण के साथ-साथ जोखिम मूल्यांकन उत्तरदायित्वों वाले संबंधित विभाग/प्रचालन यूनिटों के साथ एक क्रॉस फंक्शनल टीम की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रासंगिक आंतरिक विशेषज्ञता के साथ संरेखित है और मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है। इसके अलावा, फ्रेमवर्क बैंक के 'ईएसजी रिस्क रेटिंग मॉडल' को संदर्भित करता है जो INR 100 करोड़ (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और INR 500 करोड़ (असूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) से अधिक के ऋणों के लिए लागू किया गया है। SBI INR 100 करोड़ (सूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) और INR 500 करोड़ (असूचीबद्ध उधारकर्ताओं के लिए) से कम के ऋणों के लिए एक अलग E &S जोखिम मूल्यांकन पद्धति विकसित करेगा। बैंक के हितधारकों के साथ चर्चा के आधार पर, यह समझा जाता है कि एसबीआई ग्रीन डिपॉजिट जारी करने के छह महीने के भीतर इस तंत्र को विकसित करेगा। इस तरह की प्रक्रिया को लागू करना बाजार की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

### आय का आवंटन और निगरानी

जब तक हरित जमा के लिए एक अलग लेबलिंग और टैगिंग तंत्र स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक बैंक का ग्लोबल आईटी सेंटर (जीआईटीसी) दैनिक आधार पर एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे ईएसजी और जलवायु वित्त इकाई (ईएसजी और सीएफयू) को प्रसारित किया जाएगा। पर नजर रखने के। एमआईएस वास्तविक समय के आधार पर हरित पोर्टफोलियो की निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा। परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में किसी भी पुनर्भुगतान/पुनर्वित्त और आय के लिए निर्धारित नए ऋण पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए ग्रीन पोर्टफोलियो की निगरानी की जाएगी। बैंक का एससी हरित परिसंपत्ति पूल के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली परियोजना(परियोजनाओं) की पात्रता निर्धारित करने और इस पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। फ्रेमवर्क में शामिल होने वाली किसी भी परियोजना को पात्रता मानदंड के अनुसार एससी द्वारा मंजूरी देनी होगी। एससी इस ढांचे के तहत ग्रीन डिपॉजिट के लिए प्रासंगिक रिपोर्टिंग की तैयारी और सत्यापन की निगरानी करेगा।

बकाया ग्रीन डिपॉजिट की कुल शुद्ध आय से अधिक पात्र हरित परिसंपत्तियों की कुल राशि को बनाए रखी जाएगी। संभावित कमी का पता लगाने के लिए एसबीआई इन्वेंट्री की निगरानी करेगा। कमी की स्थिति में, समतुल्य राशि अस्थायी रूप से केवल हरित जमा पूल से तरल उपकरणों में आवंटित की जाएगी।

#### अनांवंटित प्राप्तियां (पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए लंबित आवंटन) अस्थायी रूप से केवल तरल उपकरणों (ट्रेजरी बिल, ट्राइपार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (टीआरईपीएस) / क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) / रिजर्व बैंक के तहत ओवरनाइट / टर्म प्लेसमेंट) में आवंटित की जाएगी। भारत (आरबीआई) तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ), दिनांकित प्रतिभूतियां और अन्य कूपन-असर वाली गैर-एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) प्रतिभूतियां) जिनका अधिकतम मूल कार्यकाल एक वर्ष है।

**क्रिसिल लिमिटेड की राय**

एसबीआई ढांचे के अनुसार, ग्रीन डिपॉजिट की आय पात्र परियोजनाओं को ऋण देने के लिए निर्धारित की जाएगी। बैंक के हितधारकों के साथ चर्चा के आधार पर, यह समझा जाता है कि आय के प्रबंधन के लिए एक अलग लेबलिंग और टैगिंग तंत्र विकसित किया जा रहा है और हरित जमा जारी करने के छह महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। जब तक यह तंत्र स्थापित नहीं हो जाता, तब तक बैंक का जीआईटीसी दैनिक आधार पर एक एमआईएस रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे निगरानी के लिए ईएसजी और सीएफयू को प्रसारित किया जाएगा। एमआईएस वास्तविक समय के आधार पर हरित पोर्टफोलियो की निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा। बैंक का एससी हरित परिसंपत्ति पूल के हिस्से के रूप में मानी जाने वाली परियोजना(परियोजनाओं) की पात्रता निर्धारित करने और इस पोर्टफोलियो की नियमित निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा। फ्रेमवर्क में शामिल होने वाली किसी भी परियोजना को पात्रता मानदंड के अनुसार एससी द्वारा मंजूरी देनी होगी। एससी इस ढांचे के तहत ग्रीन डिपॉजिट के लिए प्रासंगिक रिपोर्टिंग की तैयारी और सत्यापन की निगरानी करेगा। यह बाज़ार की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

### इसके अलावा, ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, एसबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि असंबद्ध आय (पात्र गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए लंबित आवंटन) अस्थायी रूप से केवल तरल उपकरणों (ट्रेजरी बिल, ओवरनाइट / टर्म प्लेसमेंट) में आवंटित की जाती है। ट्राइपार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (टीआरईपीएस)/ क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस)/ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ), दिनांकित प्रतिभूतियां और अन्य कूपन-असर वाली गैर-एसएलआर (वैधानिक तरलता अनुपात) प्रतिभूतियां) के तहत अधिकतम मूल कार्यकाल एक वर्ष।

### तृतीय पक्ष सत्यापन/आश्वासन

एक वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से उठाए गए धन का आवंटन वार्षिक आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष सत्यापन/आश्वासन के अधीन होगा। तृतीय-पक्ष आश्वासन निम्नलिखित को कवर करेगा –

1. पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार आय का उपयोग।
2. परियोजना मूल्यांकन और चयन, आय का प्रबंधन, और पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन।

आंतरिक लेखा परीक्षक (जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए) / क्रेडिट ऑडिट) धन के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शाखा में खाते का ऑडिट करते समय एक्सपोजर के हरे वर्गीकरण की जांच और सत्यापन करेगा।

**क्रिसिल लिमिटेड की राय**

एक वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से संचित धन का आवंटन एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा वार्षिक सत्यापन / आश्वासन के अधीन होगा। इसके अलावा, एसबीआई ने अन्य ऋणों के लिए नियोजित लोगों के समान आंतरिक सत्यापन प्रक्रियाओं को नियोजित करते हुए, धन के अंतिम उपयोग की सतर्कता से निगरानी करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। एसबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के भीतर शर्तों का पालन करें और फंड के अंतिम उपयोग को सत्यापित करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करेंगे।

तृतीय-पक्ष सत्यापन और आश्वासन रिपोर्ट में आय का उपयोग, परियोजना मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया, आय का प्रबंधन, और पात्र गतिविधियों/परियोजनाओं के अनुसार उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन शामिल होगा। क्रिसिल लिमिटेड नोट करता है कि ये उपाय ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुरूप हैं।

### प्रभाव आकलन

बाहरी एजेंसियों/फर्मों की सहायता से, एसबीआई वार्षिक आधार पर प्रभाव आकलन रिपोर्ट के माध्यम से ग्रीन डिपॉजिट द्वारा वित्त पोषित ग्रीन फाइनेंस गतिविधियों/परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करेगा। रिपोर्ट एसबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

**क्रिसिल लिमिटेड की राय**

एसबीआई ग्रीन डिपॉजिट द्वारा वित्त पोषित ग्रीन फाइनेंस गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए बाहरी एजेंसियों/फर्मों को शामिल करेगा, जिसका समापन एक प्रभाव आकलन रिपोर्ट में होगा। रिपोर्ट को एसबीआई की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एसबीआई ने ढांचे के भीतर प्रभाव संकेतकों की एक विस्तृत सूची की रूपरेखा तैयार की है। यह दृष्टिकोण ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप है।

### रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर अपने निदेशक मंडल के समक्ष एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे

1. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के तहत जुटाई गई राशि.
2. परियोजनाओं की सूची जिनके लिए आय आवंटित की गई है, परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ।
3. पात्र हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि.
4. तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट और प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति।

एसबीआई ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के अनुलग्नक 2 में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार ग्रीन डिपॉजिट फंड के उपयोग के संबंध में पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी पर वार्षिक वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण करने की व्यवस्था करेगा।

**क्रिसिल लिमिटेड की राय**

एसबीआई ढांचे के भीतर उल्लिखित रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण प्रावधान ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क पर आरबीआई अधिसूचना के अनुरूप हैं.

# अस्वीकरण

यह दूसरे पक्ष की राय (एसपीओ) केवल 11 अप्रैल 2023 की ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना के खिलाफ एसबीआई ग्रीन फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क के संरेखण के हमारे आकलन को दर्शाती है।

यह एसपीओ एक सीमित, समय-समय पर राय प्रदान करता है, जो एसपीओ के तैयार और प्रकाशित होने के समय उपलब्ध जानकारी पर आधारित होता है और इसका सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। यह राय क्रिसिल लिमिटेड के फैसले और ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क और संबंधित जोखिमों और एसबीआई फ्रेमवर्क के संरेखण से संबंधित आरबीआई अधिसूचना की समझ पर आधारित है। एसपीओ भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर करता है। क्रिसिल लिमिटेड ("क्रिसिल") ने एसबीआई द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और सूचनाओं का कोई स्वतंत्र सत्यापन या ऑडिट नहीं किया है और इस एसपीओ में प्रस्तुत जानकारी की पूर्णता या सटीकता या वैधता की गारंटी नहीं देता है। यह एसपीओ तब तक वैध रहता है जब तक ढांचा बना रहता है अपरिवर्तित। क्रिसिल भविष्य में हमारे ध्यान में आने वाले किसी भी तथ्य या परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए एसपीओ को अद्यतन करने के लिए बाध्य नहीं है। क्रिसिल इस एसपीओ के उपयोग या इसमें प्रदान की गई किसी भी जानकारी के लिए कोई दायित्व नहीं रखेगा।

यह एसपीओ क्रेडिट रेटिंग नहीं है और क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन नहीं करता है।

इस एसपीओ में क्रिसिल लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई राय निवेश के लिए सिफारिश नहीं है और यह निवेश और किसी भी वित्तीय उपकरण को खरीदने/बेचने के लिए सलाह नहीं है। यह दस्तावेज़ किसी भी उद्देश्य के लिए इस जानकारी पर भरोसा करने या उपयोग करने से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए दायित्व को अस्वीकार करता है।

क्रिसिल लिमिटेड स्वतंत्र रूप से काम करता है, और क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त जानकारी तक उसकी पहुंच नहीं है, जो अपने नियमित संचालन में गोपनीय प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस रिपोर्ट में व्यक्त विचार क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के हैं, न कि क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड के।

इस एसपीओ के बारे में प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करें: SPOqueries@crisil.com।

 क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स के बारे में

### क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, क्रिसिल का एक प्रभाग, स्वतंत्र अनुसंधान, परामर्श, जोखिम समाधान और डेटा और एनालिटिक्स प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था, उद्योग, पूंजी बाजार और कंपनियों पर हमारी सूचित अंतर्दृष्टि और राय विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए प्रभावशाली निर्णय लेती हैं।

### हमारी मजबूत बेंचमार्किंग क्षमताएं, क्षेत्रों की विस्तृत समझ, मालिकाना विश्लेषणात्मक ढांचे और प्रौद्योगिकी एकीकरण की गहरी समझ द्वारा समर्थित जोखिम प्रबंधन समाधान, हमें तीन दशकों से अधिक समय से सार्वजनिक और निजी संगठनों, बहु-पक्षीय एजेंसियों, निवेशकों और सरकारों के लिए पसंद का भागीदार बनाते हैं।

### क्रिसिल लिमिटेड के बारे में

क्रिसिल एक अग्रणी, चुस्त और नवोन्मेषी वैश्विक विश्लेषण कंपनी है जो बाज़ारों को बेहतर ढंग से संचालित करने के अपने मिशन से प्रेरित है।

यह विकास, नवाचार की संस्कृति और वैश्विक उपस्थिति के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ रेटिंग, डेटा, अनुसंधान, विश्लेषण और समाधान का भारत का अग्रणी प्रदाता है।

इसने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), यूनाइटेड किंगडम (यूके), अर्जेंटीना, पोलैंड, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से संचालित व्यवसायों के माध्यम से 100,000 से अधिक ग्राहकों को स्वतंत्र राय, कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और कुशल समाधान प्रदान किए हैं। ।

इसका अधिकांश स्वामित्व एसएंडपी ग्लोबल इंक के पास है, जो दुनिया भर के पूंजी और कमोडिटी बाजारों में पारदर्शी और स्वतंत्र रेटिंग, बेंचमार्क, एनालिटिक्स और डेटा का अग्रणी प्रदाता है।

अधिक जानकारी के लिए www.crisil.com पर जाएँ

हमारे साथ जुड़ें: लिंक्डइन | ट्विटर | यूट्यूब | फेसबुक | इंस्टाग्राम

**क्रिसिल गोपनीयता कथन**

क्रिसिल आपकी निजता का सम्मान करता है। हम आपके अनुरोध को पूरा करने, आपके खाते की सेवा करने और आपको क्रिसिल से अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे आपका नाम, स्थान, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं। क्रिसिल की गोपनीयता नीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.crisil.com/privacy पर जाएँ।

 अर्जेंटीना | ऑस्ट्रेलिया | चीन | हांगकांग | भारत | जापान | पोलैंड | सिंगापुर | स्विट्ज़रलैंड | संयुक्त अरब अमीरात | यूके | संयुक्त राज्य अमेरिका

क्रिसिल लिमिटेड: क्रिसिल हाउस, सेंट्रल एवेन्यू, हीरानंदानी बिजनेस पार्क, पवई, मुंबई - 400076। भारत

फ़ोन: + 91 22 3342 3000 | Fax: + 91 22 3342 3001 [| www.crisil.com](http://www.crisil.com/)

 [/company/crisil](https://www.linkedin.com/company/crisil-global-research-%26-risk-solutions)   [@CRISILGRRS](https://twitter.com/CRISILLimited)  [/CRISILLimited](https://www.facebook.com/CRISILLimited)   [/user/CRISILLimited](https://www.youtube.com/channel/UCsb_-2P8NUnQ36cTmGYoBVA?reload=9)  /lifeatcrisil

1. [https://sbi.co.in/documents/17836/3726866/ESG+Financing+Framework+2023.pdf/ab4d507d-C354-D4D0-B2E5 3cbbe1f75e0a?t=1674120824966](https://sbi.co.in/documents/17836/3726866/ESG%2BFinancing%2BFramework%2B2023.pdf/ab4d507d-c354-d4d0-b2e5-3cbbe1f75e0a?t=1674120824966)  [↑](#footnote-ref-1)